KRISHI NEETI

1. कृषि कनेक्शन प्रक्रिया का सरलीकरण – नई कृषि नीति

ग्राम विद्युतीकरण–

राज्य में वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार 41353 ग्राम स्थित है, जिनमें से मार्च,09 तक 37897 ग्राम विद्युतीकृत है।

उर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने 4 अप्रेल 2005 को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारम्भ की है इसके अर्न्तगत राज्य के सभी आबाद ग्रामों का विद्युतीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्र में सभी आवासों तक विद्युत तंत्र की स्थापना कर कनेक्शन देना प्रस्तावित है। राज्य के 32 जिलों की 41 योजनाऐं बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को स्वीकृत हेतु भिजवायी गई इनमें पूर्व में स्वीकृत 8 ए. आर. ई. पी. योजनाऐं जो बाद में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में समाहित कर दी गई है, भी सम्मिलित है। 41 योजनाओं में से 40 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। एक येाजना वापिस (withdrawn) कर ली गई है।

इन सभी 41 योजनाओं की लागत लगभग 1309.65 करोड रूपये है। 40 स्वीकृत योजनाओं की लागत 1307.15 करोड रूपये है। इन सभी स्वीकृत 40 योजनाओं में राज्य के 4455 अविद्युतिकृत आबाद ग्राम तथा 7238 ढाणियों का विद्युतीकरण तथा 34832 विद्युतीकृत ग्रामों में विद्युत विस्तार कर प्रत्येंक आबाद घर तक विद्युत उपलब्ध कराने हेतु सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले 1749818 परिवारों को तथा 479597 सामान्य परिवारो को घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु इन योजनाओं में सम्मिलित किया है।

कृषि कनेक्शन

कृषि विद्युत कनेक्शन देने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिशा निर्देश/ नियमों/प्रावधानों हेतु कृषि कनेक्शन नीति 2004 जारी की हुई है। इस नीति के पश्चात जारी कृषि नीति सम्बन्धी विभिन्न प्रावधानों को समाहित करते हुए जयपुर डिस्कॉम द्वारा उक्त पुस्तिका को 31.03.2007 तक संशोधित किया गया है। उक्त पुस्तिका को अपडेट कर कृषि कनेक्शन नीति–2009 जारी करने की प्रक्रिया जारी है।

ग्रामीण आवासः–

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 7054434 आवास हैं, जिसमें से 3529042 आवासों में मार्च 2009 तक विद्युत उपलब्ध करवाई जा चुकी थी। राज्य सरकार सभी आवासों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए दृढ संकल्प है।

ग्रामीण क्षेत्रों के आबादी क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन देने हेतु मात्र 1500 रूपये आवेदक से लिए जा रहे हैं।

बी. पी. एल.(कुटीर ज्योति) कनेक्शन

राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को कुटीर ज्योति कार्यक्रम के तहत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनानुसार निःशुल्क घेरलू कनेक्शन दिये जा रहे है। वर्ष 2008–2009 में 450954 कनेक्शन देने के लक्ष्यों क सापेक्ष 205760 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। वर्ष 2009–10 के लक्ष्यो का निर्धारण प्रक्रियान्तर्गत है। इस वर्ष 2009–10 में जून,09 तक 5424 कनेक्शन दिए जा चुके है।

घरेलू विद्युत कनेक्शन (ग्रामीण क्षेत्रों में)

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के सभी ग्रामीण आवासों का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित हैं। वर्ष 2008–2009 में राज्य में 578045 घेरलू विद्युत कनेक्शन (ग्रामीण क्षेत्रों में) देने के लक्ष्यो के सापेक्ष 450644 कनेक्शन दिए गए है। वर्ष 2009–10 के लक्ष्यो का निर्धारण प्रक्रियान्तर्गत है।

अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण

अनुसूचित जाति बस्तियों (हरिजन बस्ती) का विद्युतीकरण अनुसूचित जाति कम्नपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत किया जाता हैं। वर्ष 2008–09 में 100 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लक्ष्यों के सापेक्ष माह 97 बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्ष 2009–10 के लक्ष्यो का निर्धारण प्रक्रियान्तर्गत है। वर्ष 2009–10 में जून,09 तक की प्रगति शून्य है।

अनूसूचित जाति के आवेदको को कृषि एवं औद्योगिक कनैक्शन

राज्य में अनुसूचित जाति के आवेदको को कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत कृषि कनेक्शन तथा औद्योगिक कनेक्शन दिये जाते है। वर्ष 2008–09 में 1430 कृषि कनेक्शनों तथा 55 औद्योगिक कनेक्शन देने के लक्ष्यों के सापेक्ष 13495 कृषि तथा 47 औद्योगिक कनेक्शन जारी किये गये हैं। वर्ष 2009–10 के लक्ष्यो का निर्धारण प्रक्रियान्तर्गत है। 2009–10 में जून,09 तक 1767 कृषि व 4 औघोगिक कनेक्शन जारी किए गए है।

2. बकाया कृषि कनेक्शनों को जारी करने सम्बन्धी निर्णय

राज्य में लम्बित कृषि विद्युत कनेक्शनो के निस्तारण के उद्देश्य से यह प्रावधान किया गया है कि 31.03.03 तक आवेदित सभी सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन आवेदको के तथा स्पेशल श्रेणी के समस्त आवेदको के मांग पत्र वर्ष 2008–09 में जारी कर निर्धारित सभी औपचारिकताऐ पूर्ण होने पर इन्हें कनेक्शन जारी कर दिये जाने का प्रावधान किया गया था। इनमें से किसी कारणवश कनेक्शन नहीं होने वाले कनेक्शन वर्ष 2009–10 में जारी किये जायेगे। सामान्य श्रेणी के 1.04.2003 से 31.12.07 तक आवेदित आवेदको के वर्ष 2009–10 में मांग पत्र जारी कर निर्धारित सभी औपचारिकताऐ पूर्ण होने पर इनके कनेक्शन जारी किये जा सकेगे।

3. जनजाति क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवारों के कुटीर ज्योति योजना के कटे हुए कनेक्शनों को पुनः जोडने बाबत्।

गत वर्षों मे जनजाति क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवारों को कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन दिये गये थे। इन कनेक्शनों में से अधिकांशतः भुगतान नहीं किए जाने के फलस्वरूप काट दिये गये हैं। ऐसे कटे कनेक्शनों को पुनः जोडने हेतु राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैः–

1. ऐसे छः माह से अधिक अवधि के कटे हुए कनेक्शनों को पुनः जोडने हेतु वर्तमान में ली जाने वाली 1700/– रूपये की राशि के स्थान पर इन कनेक्शनों को जाडने हेतु मा. 100/– रूपये की राशि वसूल की जावेगी।
2. ऐसे उपभोक्ताओं से संबंध विच्छेद की दिनांक के बाद भूगतान की देरी पर देय ब्याज की राशि की वसूली नहीं की जावेगी व विद्युत विच्छेद की दिनांक से पहले के भूगतान के डिलेड पेमेन्ट सरचार्ज (डीपीएस) की राशि का 50 प्रतिशत माफ कर दिया जायेगा।
3. उपराक्त तरीके से दुबारा गणना कर बकाया निकाली गई राशि की 10 प्रतिशत राशि प्रथम किश्त के रूप जमा करा देने पर विद्युत कनेक्शन पुनः जोट दिये जायेंगे व शेष बकाया राशि 35 मासिक किश्तों में वसूल की जावेगी।

4. राजस्थान राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की स्थिति

माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार ने अप्रैल 2005 में राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को प्रारम्भ करने की घोषणा की जिसके अन्तर्गत सभी अविद्युतीकृत ग्रामों व ढाणियों को आगामी 5 वर्षो में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरेलू जिनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार भी सम्मिलित है को विद्युतीकरण सुविधा उपलब्ध कराना सम्मिलित है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारो को निःशुल्क कनेक्शन जारी करना भी इसमें सतम्मिलित है। इस योजना हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा 90 प्रतिशत का अनुदान तथा 10 प्रतिशत का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विद्युतीकरण निगम को अधिकृत किया गया है।

राज्य के 32 जिलों व लाडनू पंचायत समिति की 41 योजनाये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. को माह सितम्बर 05 तक भिजवा दी गई थी। 41 योजनाओं में से 40 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। एक येाजना वापिस (पजीकतूंद) कर ली गई है।

इन स्वीकृत 40 योजनाओ में सम्मिलित 4455 अविद्युतिकृत ग्रामों, 7238 ढाणियों का विद्युतीकरण तथा 34832 गांवो में सघन विद्युतीकरण एवं 1749818 बी. पी. एल. परिवारों व 479597 अन्य परिवारों को घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवाना सम्मिलित है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओ के अन्तर्गत माह जून,09 तक 1933 गांवो का विद्युतीकरण, 15311 गांवो में सघन विद्युतीकरण, 3399 ढाणियो का विद्युतीकरण तथा 535887 बीपीएल व 438452 सामान्य आवेदको के घरेलू कनेक्शन जारी किये जा चूके है।

मुख्य मंत्री सबके लिये विद्युत योजना :

मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा घोषित इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी करने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत कम से कम 10 आवेदको के समूह (जनजाति/रेगिस्तानी जिलो में 6 आवेदक) जो वर्तमान में विद्यमान 11 केवी लाईन से अधिकतम 1 किलोमीटर की दूरी के अन्दर आते हो को 200 रू. आवेदन शुल्क तथा 3500 रू. प्रत्येक आवेदक से लेकर कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत मार्च,10 तक आवेदन स्वीकार किये जाने का प्रावधान है।

इस योजना के तहत माह जून,09 तक 3681 ढाणियो में विद्युतीकृत कर 27545 कनेक्शन जारी किये गये है।